



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1937 (श10)
(सं0 पटना 865) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
31 जुलाई 2015

एस०ओ० 191, दिनांक 3 अगस्त 2015—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 35/1948) की धारा-10 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, राज्य के सिनेमा गृहों में प्रदर्शित होने वाले हिन्दी चलचित्र "Manjhi-The Mountain Man" को इसके बिहार राज्य में प्रदर्शित होने की पहली तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिए मनोरंजन कर, जो इस अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत देय है, के भुगतान से छूट देते हैं।

यह अधिसूचना बिहार राज्य में चलचित्रिकी के प्रदर्शन की पहली तिथि से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[सं०सं० बिक्री-कर/अन्य-कर-02/2015-4120]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

31 जुलाई 2015

एस०ओ० 192, एस०ओ० 191, दिनांक 3 अगस्त 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री-कर/अन्य-कर -02/2015-4121]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

The 31st July 2015

S.O. 191 dated the 3rd August 2015—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act 35 of 1948), the Governor of Bihar is pleased to exempt the Hindi film "Manjhi-The Mountain Man" to

be exhibited in Cinema Halls of the State from payment of entertainment tax payable under section 3(1) of the said Act for a period of one year from first date of cinematography exhibition in the state of Bihar.

This notification shall be deemed to be come into force from the first date of cinematography exhibition in the state of Bihar.

[F.No. Bikri kar/other tax-02/2015—4120]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 865-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>